05/02/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता
उभय पक्ष उप. विपक्षीगण (1)
उप. अधिवक्ता विपक्षी (1)
जवाब न देकर सीधे बहस
करना चाहते हैं। बहस प्रमाण
प्रा.पत्र 144 पर सुनी गई।
प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किया
जाता है। निर्णय पृथक
से टंकित करवाया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से दर्ज हो।

वनानर्से २

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)